उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

20.11.18

पत्रावली नवीन गुमानी देवी जरिये अधिवक्ता श्री हरलाल सैनी आज प्रस्तुत प्रा० प० मिसल तलबी को स्वीकार किये जाने पर पेश हुई। वकील आवेदिका ने आपत्तिका पर इस बाबत हस्ताक्षर किये की प्रा० प० अस्थाई निषेधाज्ञा का सम्बन्धित मूल पत्रावली का निस्तारण हो चुका है, इस कारण प्रा० प० अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे। प्रतिवादी का अवलोकन किया गया इनकी प्रा० प० अस्थाई निषेधाज्ञा सम्बन्धित मूल पत्रावली का निस्तारण हो चुका है इस कारण प्रा० प० अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं पाया आ.। प्रा० प० अस्थाई निषेधाज्ञा का मूल पत्रावली का निस्तारण होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम से व दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

वादी का निस्तारण होने से पत्रावली दफ्तर